मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

ठेका मजदूरों को यूनियन में शामिल करने से बौखलाये मालिक 2
अडाणी विवाद को लेकर 'आप' ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका 4
मेहनती लोगों के दुःख दर्द से दूर धन्ना सेठों को खुश करता बजट 5
बुद्धि और विवेक पर मीडिया का पुरोहितवादी हमला 6
ईएसआई मेडिकल कॉलेज में रोबोट सर्जरी की तैयारी 8

वर्ष 37 | अंक 14 | फरीदाबाद | 12-18 फरवरी 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

गुंडागर्दी के बल पर एसआरएस मॉल पर कब्जा

16 दिन बाद विज के आदेश पर हुई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 22 जनवरी को सेक्टर 31 स्थित एसआरएस मॉल में जो गुंडागर्दी, तोड़फोड़ एवं लूटपाट हुई थी उस पर 16 दिन बाद यानी 6 फ़रवरी को एफआईआर दर्ज हो पाई। **'मज़दूर मोर्चा' के '29 जनवरी-4 फरवरी के अंक'** में उक्त कांड की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। पीड़ित पक्ष द्वारा बार-बार पुलिस अफसरों के चक्कर लगाने के बावजूद जब कोई सुनवाई न हुई तो वे राज्य के गृहमंत्री अनिल विज के अम्बाला स्थित शाही दरबार में पेश हुए।

विज ने भी अपने कर्त्तव्य निर्वहन का दिखावा करते हुए पुलिस को आदेश देकर पीड़ितों की ओर से एफआईआर दर्ज करवा दी। सवाल यह पैदा होता है कि क्या गृहमंत्री का काम यही रह गया है कि वह थाने-थाने जाकर मुकदमे दर्ज कराये? क्या उन्हें डीजीपी व सीपी समेत सम्बन्धित अधिकारियों की इस मामले में जवाब-तलबी नहीं करनी चाहिये थी? इससे भी बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या ज़िला पुलिस इतनी सक्षम नहीं है अथवा उसके पास इतने अधिकार नहीं है कि वह किसी अपराध का स्वयं संज्ञान लेकर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सके? पुलिस अफसर के उपर अफसर क्या केवल जनता का लहू पीने के लिये बैठा रखे हैं?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य के

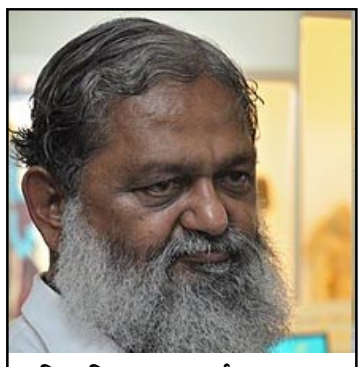
अनिल विज : एफआईआर का डर

गृह मंत्री अनिल विज नियमित रूप से अपने अम्बाला स्थित निवास पर अपना शाही दरबार लगा कर बड़े शाही अंदाज में फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। सुनने के बाद वे बाकायदा शाही फरमान सम्बन्धित अफ़सरों के नाम जारी करके संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वे यह जानने का प्रयास नहीं करते कि पीड़ित फरियादी को अन्तिम न्याय क्या मिला? किस-किस पुलिसवाले ने फरियादी को कैसे-कैसे बेवकूफ बनाकर ठगा? और जब सब मुकदमे गृहमंत्री ने ही दर्ज कराने है तो उन्हें कम से कम हर जिले में तो अपना यह दरबार खुद नहीं तो अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से लगवाना चाहिये।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार

अमर चेची : एफआईआर से बाहर

मौजूदा गुंडागर्दी मामले के मुख्य आरोपी अमर चेची का नाम ही एफआईआर में नहीं डाला। इसका कारण यह बताया जाता है कि वह मंत्री कृष्णपाल गूजर का भांजा है।

सर्वविदित है कि इलाके में होनेवाली तमाम गुंडागर्दियों के पीछे किसी न किसी राजनेता का हाथ रहता है। गुंडागिरोह में जुटने वाले तमाम गुंडोंको कोई भी टास्क देने से पहले यह आश्वासन दिया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर है ऐसा आश्वासन केवल सत्तारूढ नेता ही दे सकते हैं इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इसी के चलते मुख्य आरोपी तो एफआईआर से ही बाहर है तथा अन्य किसी को भी न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही गिरफ्तार होने की कोई सम्भावना है।

यदि कोई कार्रवाई हुई भी तो वह कागजों तक ही सीमित रह पायेगी। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि पीड़ितों को कब्जा वापस नहीं दिलाया गया है और न ही दिलाये जाने की कोई सम्भावना है। कुछ दिन बाद मुकदमा अपनी मौत खुद ही मर जायेगा।

झूठ बोले कौव्वा काटे -काले कौवे से डरियो

विज के दरबार में झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं। सच्ची शिकायत पर कार्रवाई हो या न हो पर झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और तुरंत होगी। -झूठी शिकायत करने पर होगी कार्रवाई।

कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक मार-मार कर पीता है। यह बात अब गृह मंत्री अनिल विज के दरबार बारे हो रही है। अब वहां बाकायदा यह चेतावनी लिखी जाएगी की झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई होगी। असल में पानीपत के थानेदार बलराज की, एम्बुलेंस चलाने की अनुमति देने के लिए, मंथली मांगने बारे दरबार में हुई झूठी शिकायत करने से उनकी काफी किरकिरी हो रही थी। शिकायत मिलते ही विज ने डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस प्रशांत अग्रवाल को बलराज की मुअत्तली का आदेश दे दिया था। खैर बाद में जाँच पर बलराज को बहाल कर दिया और उसके खिलफ झूठी शिकायत करने वाले अमरजीत के कारनामो की जाँच पुलिस कर रही है।

विज साहिब भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसे अपनी नाक का बाल नहीं बनाया और पानीपत के पुलिस अधीक्षक शशांक की रिपोर्ट के बाद उसे बहाल होने दिया। एक सलाह और, विज साहिब देर रात बारह बजे जिले के पुलिस अधीक्षक को फ़ोन करना बंद करो जब तक कि कोई गंभीर बात न हो। ठीक है कि पुलिस की ड्यूटी चौबीस घंटे की होती है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की निजी जिंदगी भी होती है। उसका सम्मान करना चाहिए।

-पवन बंसल

सरपंचों का आन्दोलन लूट कमाई को लेकर है

फरीदाबाद (म.मो.) अभी तक ग्राम विकास के लिये उपलब्ध तमाम तरह के धन को खर्च करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों के पास रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत की अपने साधनों से होने वाली कमाई तथा सरकार से मिलने वाली तमाम तरह की ग्रांट को विकास कार्यों पर खर्च करने का पूरा अधिकार सरपंच व पंचों के पास रहता रहा है। लेकिन इस बार खट्टर सरकार ने सरपंचों से यह अधिकार छीन कर एक्सीएन को दे दिया है। इस प्रणाली में दो लाख तक के विकास कार्य सरपंच स्वयं करायेंगे और इससे ऊपर के कार्यों के लिये सरपंच पूरी रकम एक्सीएन के खाते में जमा करायेंगे।

पुरानी व्यवस्था में करोड़ों रुपये के काम सरपंच जब खुद कराते थे तो उसमें गोल-माल करके अच्छी-खासी लूट कमाई कर लिया करते थे। इसी लूट कमाई में से नेताओं के स्वागत समारोह तथा उनके गले में नोटों की मालायें भी डला करती थीं। इसी लूट में से तमाम सम्बन्धित अधिकारियों को भी चुग्गा-पानी दे दिया जाता था। इस दौरान राजनेताओं व अफसरों से विकसित हुए सम्बन्धों से भी अच्छे-खासे लाभ प्राप्त हो जाते थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरपंची के चुनाव पर होने वाला खर्च करोड़ों तक पहुंचने लगा।

खट्टर सरकार द्वारा ई-टेंडर प्रणाली के नाम से शुरू की गई योजना ने एक प्रकार से सरपंचों के मुंह पर छीकी लगा दी है। अब सरपंच बेचारे रोयें-पीटें नहीं तो क्या करें? उन्हें यह भी साफ़ दिख रहा है कि जो माल-मलाई उनके हिस्से आने वाली थी वह अब एक्सीएन के माध्यम से पंचायत मंत्री तक पहुंचा करेगी। सरपंचों का मानना है कि जिस तरह से भारी खर्च करके विधायक एवं सांसद लूट कमाई

पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली

का लाइसेंस प्राप्त करते हैं, उसी तरह वे भी तो अच्छा-खासा खर्च करके अपने स्तर की लूट कमाई का लाइसेंस प्राप्त करते हैं। ऐसे में विधायक से मंत्री बने नेताओं को उनकी लूट कमाई में सेंधमारी करने का क्या हक है?

ई-टेंडर प्रणाली के अलावा खट्टर सरकार ने सरपंचों से उनकी सरपंची छीनने के लिये जो 'री-कॉल' यानी 'सरपंची से हटो', व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है, उससे भी सरपंचों का परेशान होना स्वाभाविक है। इस 'री-कॉल' व्यवस्था के लागू होने से सरकार जिस सरपंच को जिस दिन भी चाहेगी, पद मुक्त करा देगी। जाहिर है कि करोड़ों रुपये खर्च करके पांच साल के लिये बने सरपंच की नौकरी तो दिहाड़ीदार मज़दूर जैसी हो जायेगी। यानी मालिक जब चाहे उसे काम से चलता कर दे। इस मुद्दे पर सरपंचों का तर्क है कि यदि 'री-कॉल' की व्यवस्था इतनी बढ़िया है तो इसे विधायकों और सांसदों पर भी लागू क्यों नहीं करते? इसके अनुसार जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन विधायक की विधायकी और सांसद की सांसदी छीन कर घर बैठा देगी। आज यदि 'री-कॉल' व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री खट्टर के बारे में जनता की राय ली जाय तो उनका भी घर बैठना निश्चित है। यानी हमारा कुत्ता तो कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी।

हालांकि, राज्य भर में सरपंचों के उग्र विरोध एवं सामूहिक आन्दोलन को देखते हुए खट्टर जी काफ़ी घबराये हुए प्रतीत होते हैं। राज्य में जहां कहीं भी वे दौरे पर निकलना चाहते हैं तो सरपंचों के उग्र प्रदर्शन की सम्भावना से घबरा जाते हैं। पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह का तो जमकर विरोध हो ही रहा है, बख्शा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी नहीं जा रहा जबकि चौटाला का इस मसले से सीधे-सीधे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा चौटाला आते भी ग्रामीण परिवेश से हैं और वह भी जाट समुदाय से। जब आन्दोलनकारी चौटाला को नहीं बख्श रहे तो खट्टर को क्या छोड़ेंगे? दिनांक आठ फरवरी को सूरजकुंड मेले में आने से पूर्व, घबराये खट्टर ने आन्दोलनकारी सरपंच नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद करा दिया।